

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें, राजस्थान जयपुर।

क्रमांक : राजपत्रित/सामान्य/प-156/2018/85

दिनांक : 6/2/18

संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/
संबंधित प्रमुख चिकित्सा अधिकारी
राजस्थान।

विषय : आयुर्वेदाचार्य पाठ्यक्रम में प्रवेशित छात्र/छात्राओं को विशिखानु (इन्टर्नशिप) प्रशिक्षण हेतु।

— :: — :: —

उपरोक्त विषयान्तर्गत विभाग के प्रशासनिक विभाग के अनुमति पत्र क्रमांक:प. 25(9)चिस्वा/2/2012 दिनांक 08.05.12 के द्वारा भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्, नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 06.10.10 के अनुसार आयुर्वेदाचार्य पाठ्यक्रम में प्रवेशित छात्र/छात्राओं को विशिखानु (इन्टर्नशिप) प्रशिक्षण अवधि 06 माह का कार्यक्रम निर्धारित करने हुए शेष रहें 06 माह के प्रशिक्षण हेतु उक्त अधिसूचना के बिन्दू संख्या 06 के अनुसार इस विभाग के फार्मसी/पीएचसी/ग्रामीण औषधालय अथवा जिला अस्पताल में उक्त प्रशिक्षण पूरा करने का विवरण अंकित है।

अतः आपको आदेश दिये जाते है कि इस विभाग को अग्रेषित निम्नांकित छात्र/छात्राओं को प्रशिक्षण हेतु आपके अधीन संस्थान में प्रशिक्षण करने की व्यवस्था सुनिश्चित करने का श्रम करें:-

क्र सं.	CMHO जिनके अधीन इन्टर्नशिप की जानी है	छात्र/छात्रा का नाम	निवास का पता
1	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारा	डॉ० तनु श्री नागर पुत्री श्री रामगोपाल नागर	बजरंगगढ तहसील किशनगंज जिला बारां
2	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अलवर	डॉ० रजनी पुत्री श्री महावीर प्रसाद यादव	मोती नगर वार्ड नम्बर 12, चौधरी घीसाराम मार्ग, मातौर रोड, खैरथल अलवर
3	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अलवर	डॉ० गीतू पुत्री श्री हनुमान प्रसाद	ग्रा पो जटियाना तहसील कोटकासिम जिला अलवर
4	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, कोटा	डॉ० तबस्सुम जहाँ पुत्री श्री अब्दुल वहीद	33 वैभव नगर पुलिस लाईन कोटा
5	प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, सवाईमाधोपुर	डॉ० अंकिता बसवाल पुत्री श्री पानमल बसवाल	म.न. 150 ग्रेन गोदाम रोड बजरिया सवाई माधोपुर
6	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, डूंगरपुर	डॉ० तृप्ति मीणा पुत्री श्री भेमजी मीणा	5/159 न्यू हाउसिंग बोर्ड, डूंगरपुर
7	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, उदयपुर	डॉ० अरुणा अहारी पुत्री धनराज अहारी	100, कुम्हारिया खेड़ा, कुम्हारिया उदयपुर
8	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, झालावाड़	डॉ० हेमराज गुर्जर पुत्र श्री मांगी लाल गुर्जर	ग्रा.पो. अकलासा तहसील असनावर जिला झालावाड़
9	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ	डॉ० श्वेता कुमारी शर्मा पुत्री श्री हिरालाल शर्मा	मु0पो0 डोराई तहसील बेगु जिला चित्तौड़गढ
10	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, दौसा	डॉ० संतोष गुर्जर पुत्री श्री प्रहलाद नारायण गुर्जर	भण्डान दरवाजा भाण्डारेज दौसा
11	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, हनुमानगढ	डॉ० रवि शर्मा पुत्र श्री सत्यनारायण शर्मा	शनि मंदिर गली वार्ड नम्बर 16 संगरिया जिला हनुमानगढ

12	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर	डॉ० सुमन्त शर्मा पुत्र श्री प्रेम प्रकाश शर्मा	59 भारद्वाज कॉलोनी, पी०एन०बी० बैंक के पीछे, पीरखाना रोड़, मीरा चौक, श्रीगंगानगर
13	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर	डॉ० मुकुल पंवार पुत्र श्री दिनेश पंवार	नागोरी गेट कलाल कॉलोनी गली नम्बर 5, जोधपुर
14	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर	डॉ० हरिकृष्ण पारीक पुत्र श्री नन्द किशोर पारीक	पारीक चौक, मु०पो० अलाय तहसील व जिला नागौर
15	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर	डॉ० चन्द्र शेखर पुत्र श्री भंवर लाल रिया	वार्ड नम्बर 18, बोहरों का बास, पर्वतसर जिला नागौर
16	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, पाली	डॉ० विजय श्री अग्रवाल पुत्री श्री नरेन्द्र कुमार अग्रवाल	मु०पो० लुणावा तहसील बाली जिला पाली
17	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, झुन्झुनू	डॉ० शालिनी खन्ना पुत्री श्री गणपत राम खन्ना	4/346 हाउसिंग बोर्ड, झुन्झुनू
18	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बाडमेर	डॉ० मोनिका चौधरी पुत्री श्री प्रकाश चौधरी	म०न० 89, सेक्टर-4/एफ शास्त्री नगर, एन०पी०एच० रोड़, जोधपुर
19	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर	डॉ० श्रुति चांदावत पुत्री श्री गजेन्द्र चांदावत	सुमंगलम तापड़िया बेरा के पीछे, चांदपोल जोधपुर

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान जयपुर।

क्रमांक : राजपत्रित/सामान्य/प-156/2018/ 5

दिनांक : 6/2/18

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. शासन उप सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. कुल सचिव, राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर।
3. निदेशक, आयुर्वेद विभाग, अजमेर।
4. प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि कि उक्त पत्र को आज ही विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करवाने की व्यवस्था करावें।
5. रक्षित पत्रावली।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान जयपुर।